

—:: सूचना ::—

शैक्षिक सत्र-2017-18 में संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग एवं विकलांग वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोर्टल (<https://scholarship-gov-in>) के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी से निर्देश प्राप्त हुये हैं ।

अतः उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले छात्र/छात्रायें जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये रू0 2.50 लाख एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिये रू0 1.00 लाख एवं विकलांग वर्ग के लिये रू0 24000 मात्र है वे निर्धारित अन्तिम तिथि 31.01.2018 तक छात्रवृत्ति पोर्टल (<https://scholarship-gov-in>) पर समस्त प्रमाण पत्रों (आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/स्थाई अथवा मूल निवास प्रमाण पत्र/बोनाफाइड प्रमाण पत्र/अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा का अंकपत्र/किसी भी सी0बी0एस0 बैंक की पासबुक का प्रथम पेज की छायाप्रति जिसमें बैंक एकाउण्ट संख्या एवं बैंक का आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हो) की स्वप्रमाणित प्रतियों को अपलोड करते हुए आवेदन करना सुनिश्चित करें । उक्त तिथि के पश्चात किसी भी दशा में आवेदन किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी ।

ऑन लाईन आवेदन करने हेतु पोर्टल (<https://scholarship-gov-in>)

आवेदन करने की अन्तिम तिथि:- 31.01.2018

छात्र/छात्रायें आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र का प्रिंट आउट की एक प्रति अपने कक्षा प्रभारियों के पास जमा करेगे एवं एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें ।

(आलोक मिश्रा)

प्रधानाचार्य